



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2150]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2016/भाद्र 11, 1938

No. 2150]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2016/BHADRA 11, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2016

का.आ. 2846(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जो सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, इसके संशोधनों सहित, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 536 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2015 द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (नया रासा-66) के तिरुवनंतपुरम बाइपास के 6/400 कि.मी. पर अकुलम कायल पर अकुलम पुल के प्रयोग हेतु (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) यांत्रिक वाहनों पर शुल्क संग्रहीत करने के लिए केरल राज्य सरकार को प्राधिकृत किया है।

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 536 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2015 को एतद्वारा निरस्त करती है।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/761/सीओ/15-16/जीसी
तिरुवनंतपुरम (0.000-26.500)पीएफ]
दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2016

S.O. 2846(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and its amendments, the Central Government by notification number S.O. 536(E), dated 17th February, 2015 of the Government of India has authorized State Government of Kerala to collect fee on mechanical vehicles for the use of Akkulam Bridge across Akkulam Kayal at km 6/400 of Thiruvananthapuram Bypass of National Highway No. 47 (New NH 66) in the State of Kerala (hereinafter referred to as the "said section").

Now, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby rescinds the notification number S.O. 536(E) dated 17th February, 2015.

[F. No. NHAI/13013/761/CO/15-16/GC
Thiruvananthapuram (0.000 – 26.500) PF]
DAKSHITA DAs, Jt. Secy.